डी०जी० परिपत्र संख्या– 49 /2024

प्रशान्त कुमार, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
रा०नो० पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार
लखनऊ – 226002
फोन नं0 0522–2724003 / 2390240 फैक्स नं0 0522–2724009
सीयूजी नं0 9454400101
ई–मेल police.up@nic.in
वेबसाईट https://uppolice.gov.in

दिनांक: लखनऊ: दिसम्बर 26, 2024

विषय– बीएनएसएस–2023 की धारा–82 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार वारण्टशुदा व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) का निर्धारण।

प्रिय महोदय / महोदया,

आप सभी अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित नये आपराधिक कानूनों को दिनांक 01.07.2024 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है। प्रख्यापित नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा–82 में वारण्टशुदा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वर्णित प्राविधानों के क्रियात्मक अंश निम्नवत हैं:–

- जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, उस दशा के सिवाय, जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया है, गिरफ्तारी के स्थान से तीस किलोमीटर के भीतर है या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर गिरफ्तारी की गई थी, अधिक निकट है, या धारा 73 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा।

- उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर, पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी और ऐसे स्थान की जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है, के संबंध में, जिले के नामनिर्दिष्ट पुलिस अधिकारी को तथा अन्य जिले के ऐसे पुलिस अधिकारी को, जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधारणतया निवास करता है, को जानकारी देगा।

2. मैं चाहूँगा कि आप सभी बीएनएसएस–2023 की धारा–82 में वर्णित उपरोक्त प्राविधानों को भलीभाँति अध्ययन करके जनपद में एक कार्यशाला के माध्यम से वर्णित उपरोक्तांकित प्राविधानों को अपने अधीनस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों/थानाध्यक्षों/विवेचनाधिकारियों को विस्तार से अवगत कराकर अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक(अभियोजन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक(कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।